संख्या 3452 / II–2011–03(05) / 2009

प्रेषक,

एन0के0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग

देहरादून : दिनांक 29 मार्च, 2011

विषय : **वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आयोजनागत पक्ष में निर्माणाधीन बाढ़ सुरक्षा योजनाओं हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या 4599 / मु0अ0वि0 / सिं0वि0 / बजट / बी–1–सामान्य, दिनांक 29.11.2010 एवं पत्र सं0–1066 / मुअवि / बजट / बी–1, सामान्य दि0–28.03.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2010–11 में आयोजनागत पक्ष के अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत राज्य सैक्टर की निर्माणाधीन बाढ़ सुरक्षा योजनाओं, जिनका उल्लेख **संलग्नक–1** में किया गया है, हेतु ₹ 176.32 लाख (₹ एक करोड़ छियत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है व योजना निर्माणाधीन है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।
2. धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।
4. उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।
5. स्वीकृति धनराशि का खण्डवार विभाजन / फाँट मुख्य अभियन्ता एवं उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
6. जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।
7. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के निस्तारण पर रखी जा रही धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारियों को प्राविधान / परिव्यय, जो भी कम हो, की सीमा तक तत्काल अवमुक्त किया जाए जिससे क्षेत्रीय स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
8. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0–17 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार

निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

9. कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
10. विभागीय कार्य करने से पूर्व सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
11. त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन एवं केन्द्र पोषित योजनाओं में भारत सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2011 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।
12. धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।
13. भविष्य में निर्माण कार्यों के प्रस्ताव करते समय बजट मैनुअल के प्रस्तर 211(डी)–4 में दिये गये प्राविधान की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी। साथ ही यह भी देखा जाय कि सर्वप्रथम अधिक भौतिक/वित्तीय प्रगति वाले कार्यों के लिए धनराशि इस प्रकार अवमुक्त कराये जाय कि वे शीघ्र पूर्ण हो सके तथा थोड़ा–थोड़ा धनराशि कई कार्यों के मध्य बांटने की वर्तमान प्रथा पर रोक लगाई जाय एवं इस प्रकार के अनियमित प्रस्ताव रखने वाले दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करें।
14. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711– बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–103– सिविल निर्माण कार्य–03–अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव–24 वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 428/XXVII(2)/2010, दिनांक 28 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(एन0के0 जोशी)
अपर सचिव।

संख्या 3452(1)/ I I–2011–03(05)/2009, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून/पौड़ी/टिहरी/नैनीताल/ऊधमसिंह नगर।
7– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
8– वित्त अनुभाग–2
9– नियोजन विभाग।
10– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

आज्ञा से,

(एन0के0 जोशी)
अपर सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या 3452/ I I–2011–03(05)/2009, दिनांक 29/03/11 का संलग्नक।

क्र. स.	योजना का विवरण	योजना की लागत	प्रारम्भ से अब तक कुल व्यय	अवशेष	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	जनपद देहरादून में राजपुर फीडर एक्वीडक्ट सेदीवाला गांव तक रिस्पना नदी के किनारे बाढ़ सुरक्षा योजना।	210.30	95.13	115.17	10.00
2	बद्रीपुर नाले से बद्रीपुर ग्राम की बाढ सुरक्षा योजना।	282.00	226.65	55.35	8.00
3	ज0 देहरादून में रिस्पना नदी के किनारे चिंडोंवाली से आर्यनगर तक की बा0सु0यो0।	284.75	200.30	84.45	16.00
4	कोटद्वार नगर एवं 5 ग्राम सभाओं की सुरक्षा हेतु पनियाली नाले पर बाढ़ सुरक्षा यो0।	126.50	67.96	58.54	58.54
5	कमलेश्वर बाढ़ सुरक्षा योजना।	164.59	158.59	6.00	05.88
6	जनपद पौड़ी गढ़वाल में अलखनन्दा विहार (श्रीनगर) बा0सु0यो0।	153.55	70.91	82.64	3.00
7	बीरोंखाल विकास क्षेत्र की बैजरो बाढ़ सुरक्षा योजना।	53.75	30.26	23.49	3.00
8	जनपद टिहरी गढ़वाल में ज्यूंदी सेरा व गढ़वाल विश्वविद्यालय के उद्यान केन्द्र की भूमि व अन्य सम्पत्ति की बा0सु0यो0।	95.00	68.55	26.45	20.00
9	जनपद टिहरी गढ़वाल के नैलचामेश्वर मन्दिर की बाढ़ सुरक्षा योजना।	12.10	5.50	6.60	06.60
10	जनपद नैनीताल के विकास खण्ड हल्द्वानी के ग्राम कुटलिया फेज–2 की नन्धौर नदी से कटाव एवं स्पिल रोकथाम के कार्यो की योजना।	95.50	35.98	59.52	05.00
11	जनपद ऊधमसिंहनगर के सितारगंज तहसील के अन्तर्गत बिचवा व टुकडी ग्रामों की देवहा नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना	149.00	93.44	55.56	12.50
12	जनपद ऊधमसिंह नगर के कोसी नदी की बाढ़ से सुरक्षा हेतु ग्राम नस्तनगर की बा0सु0यो0।	85.35	45.00	40.35	15.30
13	जनपद ऊधमसिंह नगर के सितारगंज तहसील के अन्तर्गत झुक्हा, कौंधा अशरफ एवं कौंधा रतन ग्रामों की कैलाश नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना।	86.55	39.73	46.82	12.50
			कुल योग		176.32

(₹ एक करोड़ छियत्तर लाख बत्तीस हजार मात्र)

(एन0के0 जोशी)
अपर सचिव।